(5)

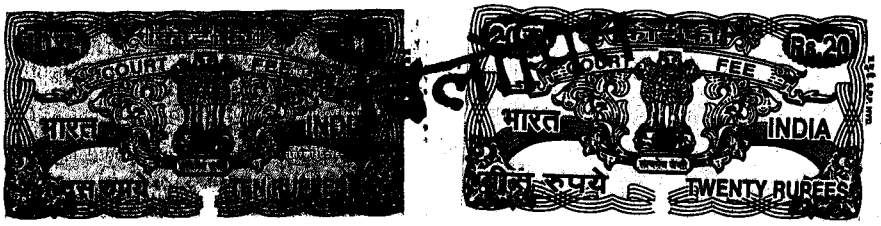

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक:- ।२०१७ निगरानी R/1499-I-17

घर्मा पुत्र धन्सू गहरिया,
निवासी- ग्राम नैनागिर, तेहसील नरवर,
जिला शिवपुरी-मध्यप्रदेश ।

------ प्रार्थी

श्री रा.प. के उपाध्याय, अभि. को द्वारा आज दि. 23/5/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बिरुध्द

१- नारायण सिंह पुत्रगण भवानी सिंह
२- ओमकार सिंह
निवासीगण ग्राम नैनागढ़, तेहसील नरवर,
जिला शिवपुरी-मध्यप्रदेश ।

------ प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी बिरुध्द आदेश तेहसीलदार महोदय नरवर, जिला शिवपुरी, दिनांकी १७-५-२०१७, अन्तर्गत धारा ५०- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० ६।१६-१७।अ-७० ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

१- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

३- यह कि, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में विवादित भूमि के स्वत्व के सम्बन्ध में वर्तमान में निगरानी प्रकरण इस माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में जबस्वत्व के सम्बन्ध में अभी अंतिम निराकरण नहीं हुआ है तब वर्तमान प्रकरण में कार्यवाही स्थगित रखी जाना चाहिये थी ऐसी स्थिति में प्रार्थी के आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने में भूल की गई है ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1439–एक/2017 जिला शिवपुरी

धर्मा विरूद्ध नारायण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
0/–6–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 6/2016–17/अ–70 में पारित आदेश दिनांक 17–5–2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ तहसीलदार के प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण में तहसीलदार ने राजस्व मण्डल से दिनांक 16–11–2016 से 13–2–2017 तक कोई स्थगन अथवा न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही रोके जाने संबंधी आदेश नहीं होने से कारण कार्यवाही जारी करते हुये आवेदक का आवेदन दिनांक 21–3–2017 निरस्त किया है तथा प्रकरण में मौका कब्जा रिपोर्ट लिये जाने के आदेश दिये हैं। वरिष्ठ न्यायालय से किसी प्रकार के स्थगन के अभाव में कार्यवाही का नहीं रोकने संबंधी जो आदेश तहसीलदार द्वारा दिया गया है उसमें कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। दर्शित यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यत के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0 एस0 अली) सदस्य	